सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

22 ज्येष्ठ, 1948 (श०)

संख्या - 324 राँची, शुक्रवार, 12 जून, 2026 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

अधिसूचना

11 जून, 2026

सं0सं0-2/रा0 स्था0 (मु0)-23/2025 - 1639/रा0--राज्य कर्मियों को सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन/संशोधित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन का लाभ प्रदान करने संबंधी वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-5207/वि0, दिनांक-14.08.2002, 2981/वि0, दिनांक-01.09.09 एवं संकल्प सं0-1779 दिनांक-21.05.14 में निहित प्रावधानों के आलोक में विभागीय स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा पर राजस्व सेवा संवर्ग के निम्नांकित कार्यरत/सेवानिवृत्त सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी/अंचल अधिकारी को उनकी नियुक्ति तिथि से निर्धारित वर्षों की नियमित सेवा पूरी किये जाने के फलस्वरूप उनके नाम के सम्मुख स्तंभ 6 में अंकित तिथि से वेतनमान- PB-II, 9300-34800 GP- 4800 में तृतीय संशोधित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति निम्नरूप से प्रदान की जाती है:-

क्र0	सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी/अंचल अधिकारी का नाम एवं पदस्थापन कार्यालय एवं GPF/PRAN No.	नियुक्ति की तिथि	प्रथम सुनिश्चित उन्नयन की स्थिति	द्वितीय संशोधित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन की स्थिति	तृतीय संशोधित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन की देय तिथि (वेतनमान- PB-II, 9300-34800, GP- 4800)
1	2	3	4	5	6
1	श्री संतोष कुमार शुक्ला, से0नि0 अंचल अधिकारी, मनिका, लातेहार PAL/REV/131	05.05.1988	पूर्व में दिया गया है।	पूर्व में दिया गया है।	दिनांक-05.05.2018 से अनुमान्य।
2	श्री ख्रीस्तोफर किड़ो, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, पलामू GUM/REV/277	28.06.1990	पूर्व में दिया गया है।	पूर्व में दिया गया है।	दिनांक-28.06.2020 से अनुमान्य।
3	श्री ओमप्रकाश प्रसाद, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, पलामू GUM/REV/317	18.06.1990	पूर्व में दिया गया है।	पूर्व में दिया गया है।	दिनांक-18.06.2020 से अनुमान्य।
4	श्री राजेश कुमार, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, पलामू BJP/REV/1156	05.08.1991	पूर्व में दिया गया है।	पूर्व में दिया गया है।	राजस्व सेवा संवर्ग नियमावली, 2018 के गठन के पश्चात् दिनांक-25.04.2018 से 9300-34800, PB-II, GP- 5400 वेतनमान में प्रोन्नति/वृद्धि होने के कारण अनुमान्य नहीं।
5	श्री जयकेश्वर साहू, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, पलामू GUM/REV/369	18.06.1990	पूर्व में दिया गया है।	पूर्व में दिया गया है।	दिनांक-18.06.2020 से अनुमान्य।
6	श्री शशिभूषण सिंह, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, पलामू GUM/REV/348	16.06.1990	पूर्व में दिया गया है।	पूर्व में दिया गया है।	वर्तमान में विभागीय कार्रवाई प्रक्रियाधीन होने के कारण तृतीय MACP के अनुमान्य नहीं।
7	श्री यशवंत कुमार सिन्हा, अंचल अधिकारी, धनवार, गिरिडीह। HZB/REV/577	09.02.1990	पूर्व में दिया गया है।	पूर्व में दिया गया है।	दिनांक-09.02.2020 से अनुमान्य।

i. उक्त वित्तीय उन्नयन पूर्णतः औपबंधिक है ।

ii. वित्तीय विभागीय संकल्प संख्या-1779/वि0, दिनांक-21.05.14 की कंडिका 5(v) के आलोक में वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप वेतन के निर्धारण का सत्यापन होने के उपरान्त ही वित्तीय उन्नयन का लाभ देय होगा तथा वेतन के निर्धारण का सत्यापन उक्त संकल्प की कंडिका-5(vii) के प्रावधान के अनुरूप किया जायेगा ।

iii. उपर्युक्त कार्यरत/ सेवानिवृत्त सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी/अंचल अधिकारी के संबंध में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संबंधित पदाधिकारियों को प्रदत्त MACP योजना का लाभ रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हें अतिरिक्त भुगतान की गई राशि की वसूली कर ली जायेगी ।

iv. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-1365/वि0, दिनांक-07.04.2017 के आलोक में संबंधित से शपथपत्र प्राप्त है ।

v. उपर्युक्त संशोधित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन स्वीकृति के प्रस्ताव एवं अधिसूचना प्रारूप पर सक्षम प्राधिकार की सहमति प्राप्त है ।

vi. टंकण अथवा लिपिकीय भूल का सुधार किया जा सकेगा ।

रामेश्वर लेयांगी,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 324 - 50